RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A Government of Rajasthan Undertaking)
Corporate Identity Number (CIN)-U40102RJ2000SGC016484
Regd. Office & H.O.: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur 302005
Ph./Fax. No. 0141-2742451 E-mail: gabrvun@gmail.com Website: www.energy.rajasthan.gov.in/rvunl

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

No.RVUN/P&A/DDP(HQ)/F. Letter/D. 583 **Dated: 01 /03/ 2019**

ORDER

Sub-Amendment in RVUN employees Services Regulations, 1964.

Chairman & Managing Director in consultation with Director (Finance) has decided to adopt, mutatis mutandis, the notification no.F.1(6)/FD/Rules/20011 Pt. dated 10.09.2018 issued by the Finance Department, Government of Rajasthan regarding "Child Care Leave." Accordingly, following guidelines are hereby issued in connection with provisions laid down regarding Child Care Leave under Regulation 51(C) of RVUN Employee Service Regulations, 1964 :-

1- चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत करने के औचित्य/कारण/आधार –महिला कार्मिकों को चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत करने के संबंध में विनियम 51(c) में निम्नानुसार प्रावधान है:–

A female Government servant may be granted Child Care Leave by an authority competent to grant leave, for a maximum period of two years, i.e. 730 days during her entire service for taking care of her two eldest surviving children whether for rearing or for looking after any of their needs such as examination, sickness, etc.

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार महिला कर्मचारी के द्वारा अपने सबसे बड़े दो बच्चों या उनमें से किसी बच्चे का पालन(Rearing) या परीक्षा (Examination), बीमारी (Sickness), आदि के समय उनकी देखभाल करने के लिए चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किये जाने का आवेदन करने पर अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा लिया जावेगा।

2. चाईल्ड केयर लीव को उपार्जित अवकाश के अनुसार मानते हुए स्वीकृत किये जाने के संबंध में विनियम 51 c (2)(xi) में निम्नानुसार प्रावधान है:–

(xi) The leave is to be treated like the Privilege Leave and sanctioned as such.

रा.रा.वि.उ.नि. कर्मचारी सेवा, विनियम 1964 में विनियम 45(3) के अनुसार निगम के किसी कर्मचारी को एक समय में अधिकतम 120 दिवस तक का उर्पाजित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु किसी मान्यता प्राप्त सेनिटोरियम, अस्पताल में टी.बी., केन्सर रोग, कोढ़ अथवा मानसिक रोग के निदान की चिकित्सा के लिए आवश्यकता हो तो एक समय में 300 दिवस तक का उपार्जित अवकाश, देय होने पर स्वीकृत किया जा सकता है।

अतः महिला कार्मिक को अपने बच्चे के पालन या परीक्षा एवं बीमारी के समय देखभाल हेतु एक समय में अधिकतम 120 दिवस तक का चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जा सकेगा। बच्चे की किसी मान्यता प्राप्त सेनिटोरियम, अस्पताल में टी.बी., केन्सर रोग, कोढ़ अथवा मानसिक रोग के निदान की चिकित्सा के लिए आवश्यकता हो तो एक समय में 300 दिवस तक का चाईल्ड केयर लीव, देय होनें पर स्वीकृत किया जा सकरता है।

Scanned by CamScanner

3. चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी– महिला कर्मचारी को अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा ही चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। रा.रा.वि.उ.नि.लि. कर्मचारी सेवा विनियम, 1964 के परिशिष्ट–। में क्रम स. 13 के अन्तर्गत चाईल्ड केयर लीव संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जावेगी। यदि निगम 51 c(2)(ii) के अन्तर्गत चाईल्ड केयर लीव के साथ महिला कर्मचारी द्वारा अन्य देय अवकाश स्वीकृत करने हेतु आवेदन किया जाता है तो आवेदित अवकाश की अवधि के अनुसार, ऐसा अवकाश स्वीकृति हेतु कर्मचारी सेवा विनियम, 1964 के परिशिष्ट–। में प्रदत पूर्वोक्त शक्तियों में विहित प्रावधानों के अनुरूप उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

4. अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा एक कार्यालय/एक इकाई में पदस्थापित महिला कर्मचारी में से किसी महिला कर्मचारी को चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत करने का निर्णय लेने हेतु यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अवकाश स्वीकृत करने से कार्यालय व्यवस्था एवं सेवा में बाधा उत्पन्न नहीं होगी एवं कार्यालय कार्य/सेवाओं का सुचारू संचालन संभव होगा। एक समय में एक कार्यालय में कुल कार्मिकों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक महिला कर्मिकों को चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत करने हेतु प्राथमिकता (priority) का निर्धारण निम्न बिन्दुओं के दृष्टिगत किया जा सकता है:–

   1. बच्चे गम्भीर बीमारी के समय देखभाल/विकलांगता के कारण बच्चे का पालन।
   2. बच्चे की सैकेण्डरी/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के समय देखभाल।
   3. बच्चे की सैकेण्डरी/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के अतिरिक्त शिक्षण कार्य के समय देखभाल।
   4. 3 वर्ष तक की आयु के बच्चे का पालन।

By Order,

1/3/2019.

(Alok Sharma)
Joint Director (Per. & Admn.)
RVUN, Jaipur

Copy to the following for information and necessary action :-

1. Director(Technical/Projects/Finance), RVUN, Jaipur.
2. Chief Engineer (   ), RVUN,
3. CCOA/CAO(   ),
4. Jt. Director (CA) cum-Company Secretary, RVUN, Jaipur
5. Jt. Director Personnel (KTPS), RVUN, Kota.
6. Superintending Engineer (Gen.), RVUN, Kota/Banswara.
7. Asstt. Director (PR), RVUN, Jaipur.
8. DDP/AS/PO/APO(   ), RVUN,
9. AO/AAO(   ), RVUN,

01.03.19

(Surendra Kumar Vyas)
Dy. Director Personnel (GAB)
RVUN, Jaipur

Scanned by CamScanner